न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 10/2016

लादूराम उम्र 51 वर्ष पुत्र स्व0 मूलचन्द जाति कोली निवासी ग्राम मानसर खेडी तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. कुशल्या उम्र 56 वर्ष पुत्र कालूराम जाति कोली निवासी ग्राम मानसर खेडी, तहसील बस्सी जिला जयपुर ।
2. ग्राम पंचायत मानसर खेडी जरिए सरपंच/सचिव तहसील बस्सी, जिला जयपुर (राज0)

...विपक्षीगण

पुनरीक्षण अर्न्तगत धारा 97 राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व निर्णय दिः 16.09.2015 प्रशासन स्थाई समिति, पंचायत समिति बस्सी ब अपील सं0 (दर्ज नही की)/2015 लादूराम बनाम कुशल्या अर्न्तगत धारा 61 राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं प्रस्ताव बैठक दि0 01.12.1974 मिसल सं0 101 दिः 01.11.1974 ग्राम पंचायत मानसर खेडी बाबत कुशल्या विपक्षी के हक में पट्टा जारी करने।

उपस्थितः–

1. श्री बालूराम वर्मा अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री एम.एल मीणा अप्रार्थी संख्या–एक की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 24.04.2018

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत मानसर खेडी, पं.स. बस्सी द्वारा विपक्षी अप्रार्थी संख्या 1 कुशल्या पुत्र कालूराम जाति कोली निवासी ग्राम मानसर खेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर के पक्ष में आवासीय भूखण्ड का पट्टा मिसल संख्या 101 आदेश दिनाकं 01.12.1974 के द्वारा पट्टा जारी किया गया, से संबंधित अपील प्रशासन एवं स्थाई समिति पं0स0 बस्सी के समक्ष पेश करने पर विकास अधिकारी पं0स0 बस्सी द्वारा प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 16.09.2015 से अपील को खारिज किये जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 17.11.2015 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या एक की ओर से श्री एम.एल.मीणा उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या 2 की आरे से कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का मूल पट्टा पत्रावली एवं अपील लादूराम बनाम ग्रा0प0 मानसर खेडी फैसल दिनांक 16.09.2015 प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस उपस्थित अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत मानसर खेडी ने विपक्षी संख्या–एक के पक्ष में दिनांक 01.12.1974 को जो पट्टा जारी किया है वह विधिसम्मत नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner

सुस्थापित विधिक सिद्वान्तो की पालना किए बिना पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व न तो तीन अधिकृत सदस्यो द्वारा मौके पर रिपोर्ट तैयार करवाई न रिपोर्ट नियमानुसार सही है एवं ग्राम पंचायत द्वारा एक माह का सार्वजनिक आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति बस्सी के उक्त पट्टे के संबंध में अपील की गई जिसे प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 16.09.2015 द्वारा प्रशासन एवं स्थाई समिति पं.स. बस्सी द्वारा अपील को मियाद बाहर मानते हुए निर्णित करके निरस्त कर दिया गया। प्रशासन स्थाई समिति पं0 स0 बस्सी की बैठक दिनांक 16.09.2015 में निगरानीकार द्वारा पेश की गयी अपील दर्ज नहीं की गयी प्रस्ताव संख्या 8 में केवल मियाद के बिन्दु पर ही निगरानीकर्ता की अपील खारिज कर दी गयी। प्रशासन स्थाई समिति को अपील व मियाद के बिन्दु को पूर्ण विवेचन कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया। अपील में पूर्ण न्यायिक प्रकिया अपनायी जानी चाहिए थी जो कि प्रस्ताव संख्या 8 निर्णय दिनांक 16.09.2015 में स्पष्ट नहीं होता है। एकतरफा विवेचन कर निर्णय किया गया है। अतः निगरानीकार की पुनरीक्षण निगरानीकर्ता स्वीकार की जाकर प्रशासन स्थाई समिति पं0 स0 बस्सी के निर्णय दिनांक 16.09.2015 द्वारा लिया गया प्रस्ताव संख्या 8 निरस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–एक की ओर से दौराने बहस कथन किया कि निगरानीधीन आदेश पंचायती राज के नियमों की पूर्ण रूप से पालना करते हुए पारित कर नियमानुसार अप्रार्थी संख्या एक के हक में पट्टा 01.12.1974 को जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या एक ग्राम मानसर खेडी तहसील बस्सी के ही निवासी है। ग्राम पंचायत मानसर खेडी द्वारा नियमानुसार वार्ड पंच गण द्वारा मौका निरीक्षण कर उक्त पट्टा जारी किया गया है। नक्शा तैयार कर नियमानुसार पट्टा जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्ता द्वारा की गयी अपील मियाद बाहर होने पर नियमानुसार अपील दर्ज योग्य नहीं होने से खारिज की गयी है। अतः निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण अर्न्तगत धारा 97 विरूद्व निर्णय दिनांक 16.09.2015 प्रशासन स्थाई समिति पं0 स0 बस्सी के प्रस्ताव संख्या 8 को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार एवं गैर निगरानीकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा प्रशासन एवं स्थाई समिति बस्सी के समक्ष गैर निगरानीकारान के विरूद्व अपील की गयी। निगरानीकर्ता द्वारा पेश की गयी अपील को अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन स्थाई समिति पं0 स0 बस्सी द्वारा न दर्ज किया गया न ही

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner

रेस्पाडेन्ट को नोटिस दिया गया केवल मियाद बाहर मानकर खारिज किया गया है। अधिवक्ता निगरानीकर्ता का कथन है कि विलम्ब क्षमा (condon) करने के लिए उसने अपील के साथ प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 (2) के अर्न्तगत अपील की सुनवाई का श्रवणाधिकार अधिनियम के अधीन गठन स्थाई समिति को है, जिनका गठन धारा 56(1) में किया जाता है। निगरानीकर्ता की अपील प्रशासन स्थाई समिति पं.स. बस्सी ने आदेश दिनांक 16.09.2015 द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुए खारिज की है। अधिवक्ता रेस्पा0 ने कथन किया कि अपील मियाद बाहर थी नियमानुसार ही प्रशासन एवं स्थाई समिति द्वारा निगरानीकर्ता की अपील खारिज की गयी है। पंचायत समिति बस्सी द्वारा भेजी गयी अपील की पत्रावली की फोटो प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि देरी क्षमा (condon) करने का आवेदन व शपथ–पत्र प्रस्तुत हुए है, लेकिन आवेदन व शपथ–पत्र के अभिकथनों एवं अपील के आधारो का न तो आदेश में अंकन है ओर न देरी क्षमा नहीं करने के कारण बताए है। अधिनियम की धारा 61(2) के अनुसार अपील की सुनवाई का श्रवणाधिकार के केवल 56(1) के अर्न्तगत गठित स्थाई समिति को है जिसकी पालना नहीं की गई इन कारणों से आदेश अधीन निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है प्रशासन एवं स्थाई समिति पं.स. बस्सी का प्रस्ताव संख्या 8 निर्णित दिनांक 16.09.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण प्रशासन एवं स्थाई समिति पं.स. बस्सी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड (Remand) किया जाता है कि उभय पक्ष को सुना जाकर, राजस्थान पंचायती राज नियम के नियमों में निर्धारित प्रकिया अपनाते हुये नियमानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति बस्सी को पालनार्थ भेजी जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ ग्राम पंचायत का मूल पट्टा पत्रावली लौटायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम
एवं अतिरिक्त कलक्टर प्रथम,
कलक्टर, जयपुर

Scanned by CamScanner